

परिणामी बजट वर्ष 2018-19

विभाग- विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विभागाध्यक्ष विधि विभाग एवं विधायी कार्य विभाग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	विधिक सहायता/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को समानता एवं समान अवसर के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता दी जाकर शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराना एवं अधिक से अधिक लोगों को विधिक जागरूक बनाना	15000		
		1 विधिक सहायता एवं विधिक सलाह		16000 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं 35000 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य	
		2 लोक अदालत		1100 लोक अदालत का आयोजन, 55000 प्रकरणों का निराकरण किया जाना	
		3 विधिक साक्षरता/साक्षरता शिविर		9000 शिविरों का आयोजन कर 50 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाना ।	
		4 पेंशन लोक अदालत		180 बैठकों का आयोजन कर 360 प्रकरणों का निराकरण किया जाना ।	